

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR



**SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER
BACK-WARD CLASSES) ACT, 1994**

[U. P. Act no. 4 of 1994]

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTION

1. Short title and commencement
2. Definitions
3. Reservation in favour of Scheduled Cast, Scheduled Tribes and other Backward Classes
4. Responsibility and powers of compliance of the Act
5. Penalty
6. Power to call for record
7. Representation in Selection Committee
8. Concession and relaxation
9. Caste Certificate
10. the State Government may
11. Protection of action taken in good faith
12. Power to make rules
13. Power to amend the Schedules-
14. Laying of Order etc.

No. 488(2)/XVII- V-1-1(K A)6-1994

Dated, Lucknow March 23, 1994

IN pursuance of the provisions Of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit jatiyon. Anusuchit janjatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislative and assented to by the Governor on March 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACK-WARD CLASSES) ACT, 1994

(U. P. Act no. 4 of 1994)

(As passed by the U.P. Legislative Assembly)

AN

ACT

to provide for the reservation in public Services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993. Definitions

2. Definitions- In this Act

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts :

1[(b) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule 1;]

²[clauses (b-1), (b-2) and (b-3) shall be omitted.]

(c) "public services, and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority :

¹Subs by sec 2(a) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002) ²Omitted by sec 2(b) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002)

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one percent of the share capital of the society is held by the State Government :

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government : (iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and, administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution ;

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date or the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ; (d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. Reservation in favour of Scheduled Cast, Scheduled Tribes and other Backward Classes-

¹[(1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitment are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens,—

(a) in the case of Scheduled Castes twenty one percent :

(b) in the case of Scheduled Tribes two percent :

(c) in the case of other backward twenty seven percent:
classes of citizens

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

Provided further that reservation of vacancies for all categories of persons shall not exceed in any year of recruitment fifty per cent of the total vacancies of that year as also fifty percent of the cadre strength of the service to which the recruitment is to be made ;

(2) If, in respect of any year of recruitment any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, such vacancy shall be carried forward and be filled through special recruitment in that very year or in succeeding year or years of recruitment as a separate class of vacancy and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year of recruitment in which it is filled and also for the purpose of determining the ceiling of fifty per cent reservation of the total vacancies of that year notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1);¹

¹Subs by sec 3(a) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002)

¹[(3) where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled Castes, as the case may be, is not available in a recruitment either under sub-section (1) or sub-section (2) the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment, from amongst the suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked in the roster referred to in sub-section (5) for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category.]

²[sub-section (3-A), (3-B) shall be omitted.]

³[(4) sub-suction (4) shall be omitted.]

4[(5) The State Government shall for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster comprising the total cadre strength of the public service or post indicating therein the reserve points, and the roster so issued shall be implemented in the form of a running account from year to year until the reservation for various categories of persons mentioned in sub-section (1) is achieved and the operation of the roster and the running account shall, thereafter, come to an end, and when a vacancy arises thereafter in public service or post the same shall be filled from amongst the persons belonging to the category to which the post belongs in the roster.]

6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7)[****]⁵

4. Responsibility and powers of compliance of the Act-1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in subsection (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under subsection (1).

5. Penalty-(1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who willfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

¹Subs by sec 2 of U.P.Act No 45 of 2007 (w.e.f. 25-08-2007) ²Subs by sec 3a(i) of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002) ³Omitted by sec 3b(ii) of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002) ⁴Subs by sec 3c of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002) ⁵Omitted by sec 2 of U.P.Act No 1 of 2013 (w.e.f. 07-05-2012)

(3) An offence punishable, under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the code of criminal Procedure, 1973 shall mutatis mutandis apply.

6. Power to call for record- If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made there under or the Government orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

7. Representation in Selection Committee - The State Government may by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

8. Concession and relaxation- The State Government may, in favor of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3 by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation direct recruitment and promotion in favor of categories of persons referred to in sub-section (1) which are not in consistent with the provisions of this Act shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

9. Caste certificate- For the purpose of reservation provided under this Act caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order, provide.

10. the State Government may- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act.

11. Protection of action taken in good faith-No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made there under.

12. Power to make rules- The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

13. Power to amend the Schedules- The State Government may, by notification amend the Schedules and upon the publication of such notification in the Gazette, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

14. Laying of Order etc.- Every order made under sub-section (5) of section 3, sub-section (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislative and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the

Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

15. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement.

Explanation: For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test of the interview, As the case may be, has started, or (ii) both written test, and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

16. (1) Repeal and Saving- The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 1994 are hereby repealed.

(2) U.P. Act no. 21 of 1989 U.P. Act no.3 of 1993- Notwithstanding Such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the ordinance referred to in subsection (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. U.P. Ordinance no. 5.

1[(1) SCHEDULE-I

(See .SECTION 2 (b)

1. Ahir, Yadav, Gwala, Yaduvanshiya 2. Sonar, Sunar,, Swarnkar 3. Jat. 4. Kurmi, Chanau, Patel,, Patanwar, Kurmi- Mall, Kurmi-Seinthwar 5. Giri 6. Gujar 7. Gosain 8. Lodh,, Lodha, Lodhi,, Lot,, Lodhi-Rajput 9. Kamboj 10. Arakh,, Arakvanshiya	41.Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu, Kashaudhan 42.Bhathiara 43.Mali, Saini 44. Sweeper (Those not included in Scheduled Caste Category), Halalkhor 45.Lohar, Lohar-Saifi 46.Lonia,. Nonia, Gole-thakur, LoniaChauhan 47.Rangrez, Rangwa 48.Marchcha 49.Halwai. Modanwal 50.Hajjam, Nai, Salmani, Savita, Sriwas 51. Rai Sikh
--	--

1Subs by sec 4 of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002)

13.Kewat, Mallah, Nishad	53. Dhobi (Those not included in the Schedule Castes or Scheduled Tribes Category)
14.Kisan	54. Kasera,, Thathera, Tamrakar
15.Koeri	55. Nanbai
16.Kumhar, Prajapati	56. Mirshikari
17.Kasgar	57. Shekh Sarwari (Pirai), Peerahi
18.Kunjra or Raeen	58. Mev, Mewati
19.Gareria, Pal, Vaghel	59. Koshta/Koshti
20.Gaddi, Ghoshi.	60. Ror
21.Chikwa, Qassab Qureshi, Chak	61. Khumra, Sangalarash, Hansiri
22.Chhippi, Chipa	62. Mochi
23.Jogi	63. Khagi
24.Jhoja	64. Tanwar Singharia
25.Dhafali	65. Katuwa
26.Tamoli, Barai,, Chaurasia	66. Maheegeer
27.Teli, Samani,, Rogangar,, Sahu,, Rauniar, Gundhi,, Arrak	67. Dangi
28.Darji, Idrisi,, Kakutstha	68. Dhakar
29.Dhiver	69. Gada
30.Naqqal	70. Tantawa
31.Nat (Those not included in Scheduled Castes Category)	71. Joria
32.Naik	72. Patwa, Patahara, Patchara, Deovanshi
33.Faqir	73. Kalal, Kalwar, Kalar
34.Banjara, Ranki, Mukeri, Mukerani	74. Manihar,, Kacher,, Lakhara
35.Barhai,, Saifi, Vishwakarma,, Panchal. Ramgadhiya, Jangir, Dhiman	75. Murao, Murai, Maurya
36.Bari	76. Momin (Ansar)
37.Beragi	77. Muslim Kayastha
38.Bind	78. Mirasi
39.Bivar	79. Naddar (Dhuniya),, Mansoori,, Kandere, Kadera, Karan (Karnal)

1[SCHEDULE-II

(See section 3(1)) I. CONSTITUTIONAL POSTS :—

Son or daughter of a person who is ²[****],-

- (a) the President of India ;
- (b) the Vice President of India;
- (c) the Judges of the Supreme Court or High Courts;

¹ Subs by sec 4 of U.P.Act No 21 of 2001(15-09-2001)

² Omitted by sec 5(a) of U.P.Act No 01 of 2002

- (d) the Chairman or Member of the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, the Chief Election Commissioner or the Comptroller and Auditor-General of India; (e) On any other constitutional post of like nature.

II. SERVICE CATEGORY :—

(A) Group A or Class I officers of the All India, Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter of :—

- (a) parents, both of whom are Group A or Class I officers;
- (b) parents, either of whom is a Group A or Class I officer
- (c) parents, both of whom are Group A or Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation;
- (d) parents, either of whom is a Group A 'or Class I officer and such Parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, World Bank, etceteras., for a period of not less than five years; and
- (e) parents, both of whom are Group A or Class I officers and such parents die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation such as the United

Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etceteras for a period of not less than five years.

(B) Group B or Class II officers of the Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter or :—

- (a) parents both of whom are Group B or Class II officers;
- (b) parents of whom only the father is a Group B or Class II officer and he gets into Group A or Class I at the age of forty year or earlier ;
- (c) parents, both of whom are Group B or Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organization, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etcetera for a period of not less than five years before such death or permanent incapacitation;
- (d) parents of whom the father is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the mother is a Group B or Class II officer and the mother dies or suffers permanent incapacitation ; and
- (e) parents of whom the mother is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and, the father is Group B or Class II officer and the father dies or suffers permanent incapacitation.

Explanation- For the purposes of this category it is clarified that the expression. "permanent incapacitation" Means incapacitation which results in putting an officer out of service.

(C) Employees in Public Sector Undertakings :—

The criteria specified in sub-category (A) and (B) above shall apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or Comparable posts in Public Sector Undertakings, Banks, Insurance Organization, Universities etceteras and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable 'basis in these institutions, the criteria specified in category IV below shall apply to the officers in these institutions.

III—ARMED FORCE INCLUDING PARA MILITARY FORCES (Persons holding civil posts are not included)

Son or daughter of parents, either or both of whom are in the rank of Colonel and above in the Army or to equivalent posts in the Navy, the Air Force and Pam Military Forces.

Explanation— For the purposes of this category the service ranks below Colonel of father and mother shall not be clubbed, together.

IV:—PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY

The criteria specified in category V1 below shall apply to—

- (A) The persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax consultant, dental surgeon, engineer, architect, flint artist and other film professional, author, play-wright, sports persons, sport professional, media professional or any other vacations of like status; and
- (B) The persons engaged in trade, business and industry.

Explanation — (i) Where the father is in any profession mid the mother is in a Group B or Class II or lower grade employment, die criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the father's income and the mother's income shall not be Clubbed with it.

(ii) where the mother is in any profession and the father is in a Group B Of Class II or lower grade employment, the criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the mother's Income and the father's income shall not be clubbed with it.

V-PROPERTY OWNERS

(A) Agricultural holdings :—

Son or daughter of parents, either of whom together with his family, which includes self, his spouse and minor children, holds –

- (a) only irrigated fluid which is equal to or more than Eighty five per cent of the statutory ceiling limit, or
- (b) both irrigated and un-irrigated land, where die irrigated land (having been brought to a

Single type under a common denominator) is not less than forty percent of the statutory ceiling limit for the irrigated land, the un-irrigated land shall be converted into the irrigated land on the basis of the existing conversion formula and the litigated area so computed shall be added to the actual area of the irrigated land and the total area so arrived at in terms of irrigated land is equal to or more than Eighty per cent of the statutory ceiling limit for irrigated land.

Explanation—The terms "statutory ceiling limit" and "conversion formula" shall be construed in accordance with the law relating to ceiling on the land holdings of that area in which the land in question is situated.

(B) Plantations:—

(1) Coffee, tea, rubber etceteras.

The criteria specified in the category VI below shall apply—

(2) Mango, citrus, apple etcetera.

The land of/such plantations shall be deemed to be agricultural holding and the criteria specified under sub- category (A) above shall apply.

(C) Vacant land or buildings in urban area or urban agglomerations :—

The criteria specified in category VI below shall apply.

Explanation—For the purposes of this sub-category it is clarified that building may be used for residential commercial or industrial purpose and the like two or more such purposes.

VI—INCOME OR WEALTH CRITERIA

Son or daughter of:—

1[(a) the persons having gross annual income or rupees eight lakhs or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act, 1957 for a period of three consecutive years ;]

(b) the persons specified in categories I, II, III or V (A) who are not disentitled the benefit of 'reservation' but have income from other sources which will bring them within the criteria specified in sub-category (a) above.

Explanation—For the purposes of this category it is clarified that—

¹Subs by Notification No 22/16-92.T.C-III, dated 29-01-2014

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;

(ii) the income criteria in terms of rupee shall be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interregnum may be less.]¹

[Schedule-3]²

¹Subs by sec 4 of U.P.Act No 21 of 2001(15-09-2001)

²Omitted by sec 6 of U.P.Act No 01 of 2002

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातिय, अनुसूचित जन-जातिय और अ३य

पिछड़ेवग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

धारा क३ विषय सूची

धारायः

1-संज्ञा और शब्द

2-पठभाषाएं

3-अनुसूचित जातिय, अनुसूचित जनजातिय और अ३य पिछड़े वग के प० मः

आरक्षण-अधिनियम के अनुपालन मः उत्तरदायि०व

- 5-शांति
- 6-अभि लेख मांगने कऽ शि
- 7-चयन समित कांतिनिधंव
- 8-छूट और शिथलीकरण
- 9-जातिमांण-पू
- 10-कठनाईयकोदूरकरना
- 11- सटभावपूर्वककऽगईकायवाहीकासंरंण
- 12- नियमबनानेकऽशि
- 13- अनुसूचियकोसंशोधितकरनेकऽशि
- 14- आदेशइंयादकारखाजाना

उत्तर देशसरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 488/सुह-वि-1-1 (क) 6-1994

लखनऊ, 23 मार्च, 1994

अधिसूचना

विवध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 केअधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर देश विधानमंडल द्वारा पाहरत उत्तर देश लोक सेवा (अनुसूचित जातिय, अनुसूचित जन-जातिय औरअयिपछड़े वग के लिये आरंण) विधेयक, 1994 पर दनांक 22 मार्च, 1994 कऽ अनुमित दान कऽऔर वह उत्तर देश अधिनयम संख्या 4 सन् 1994 के अप मऽ सवसाधारण कऽ सूचनाथ

इसअधिसूचना द्वारा कऽकऽशित कया जाता है।

उत्तर देश लोक सेवा (अनुसूचित जातिय, अनुसूचित जन-जातिय और अयिपछड़ेवग के लिये आरंण) अधिनयम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित था)

अनुसूचित जातिय, अनुसूचितजन-जातिय और नागरिक के अंगीकृत वग से

संबंधितिय के पदों में लोक सेवा और पदों पर आरक्षण क, और उससे संबंधित

आनुवंशिकविषय क वंथा करने के लिए

अधिनियम

भारतगणराज्यके प.तालिसवध वर्ष 11 मं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- संक्षिप्त नाम और शीर्षक-

(1) यह और अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातिय, अनुसूचित जनजातिय अंगीकृत वग से संबंधित आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसंबर, 1993 को प्रवृत्त था समझा जायगा।

2- पदनाम- इस अधिनियम में,

(क) लोक सेवा और पदों के संबंध में "नियुक्ति अधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवा और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त अधिकारी से है;

1[(ख) 'नागरिक के अंगीकृत वग का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिक के अंगीकृत वग से है']; 2[(ख)

खण्ड (ख-1), (ख-2), (ख-3) निकाल दिये जायेंगे।]

1 उ००० अधि० सं०-1 आ० 2002 की धारा-2(क) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनांक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

2 उ००० अधि० सं०-1 आ० 2002 की धारा-2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनांक 31-08-2002 द्वारा निकाला गया।)

(ग) 'लोक सेवा और पदों' का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवा और पदों से है और

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क सेवाय और पद भी ह. :

(एक) स्थानीय अधिकारी; (दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समित, अधिनियम, 1965 क धारा 2 के खण्ड (च)

में तथा पदनाम सहकारी समित, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंशसमित क अंशपूंजी के इत्यादि

अंशतः से कम न हो;

(तीन) कसी के अंगीकृत या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या

कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रणाधीन हो या कंपनी

अधिनियम, 1956 कऽधारा 617 मऽथथा पऱरभाषित कोईसरकारी कऽपनी, िजसमऽ राऽय सरकार ढऱऱारा धृत समादऽ शेर पूंजी इऽयावनेऽतशतसे कम न हो;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खऽण्ड (1) मऽ िन्दऽप संयक वगऱऱाऱाऽथापित और ँशासित ङकसीसंथा के िसवाय राऽय सरकार के ँवाऱिमवाधीन और िनयंणाधीन कोई िशऱऱण संथा या जो राऽय सरकार से अनुदान ँऱाऱ करता हो, िजसके अऽतगऱऱत ङकसी उऽर ँदेश अधिनियम के ढऱऱारा या अधीन ँथापित कोई िर्विऱालयभी है।

(पांच) िजसके सऽबऽध मऽ इस अधिनियम के ँऱारऽभ के ङदनांक को सरकार के आदेशढऱऱारा, आरऱऱण लागू था और जो उपखऽण्ड (एक) से (चार) के अधीन अऽच्छाऽदतनहऱ है;

(घ) ङकसी ङरिऱ के सऽबऽध मऽ "भतऱ का वषऱऱा" का ताऱपयऱऱाऽकसी वषऱऱा कऽ पहली जुलाई सेँऱारऽभ होने वाली बारह मास

कऽ अविध, िजसके भीतर ऐसी ङरिऱ के ँऱित सीधी भतऱ कऽँऽयाँऱारऽभ कऽ जाय, से है।

3- अनुसूचित जाऱितयऱ, अनुसूचित जनजाऱितयऱ और अऽय िपछड़े वगऱ के पऱऱ मऽ आरऱऱण-

1[(1) लोकसेवाऱ औरपदऱ मऽ, अनुसूचितजाऱितयऱ, अनुसूचितजनजाऱितयऱ औरनागऱरकऱ केअऽयिपछड़ेवगऱ

सेसऽबिऽधत िऱयऱ केपऱऱमऽ, सीधीभतऱकेँऽमपर, उपधारा (5) मऽ िन्दऱोऱरकेअनुसारङरिऱयऱ

का, िजनपरभतऱकऽजानीहै, िनिलिखतँऱितशतआरऱऱतऽकयाजायेगा:

(क) अनुसूचितजाऱितयऱ केमामलेमऽ- इऽसँऱितशत

(ख) अनुसूचितजनजाऱितयऱ केमामलेमऽ- दो ँऱितशत

(ग) नागऱरकऱ केअऽयिपछड़ेवगऱ केमामलेमऽ- सऽाऱसँऱितशत

परऽतुखऽण्ड (ग) केअधीनआरऱऱणअनुसूची-

दोमऽ िविन्दऱनागऱरकऱ केअऽयिपछड़ेवगऱ कऽऱेणीपरलागूनहऱहोगा :

परऽतुयह औरङकिऱयऱ कऽसभीऱेणयऱ केऱिएङरिऱयऱ का आरऱऱण, ङकसीभतऱकावषऱऱामऽ,

उसवषऱऱा कऽकुलङरिऱयऱ केपचासँऱितशतसेअधकनहऱहोगा औरसाथहीउससेवाकेसंवगऱा कऽ,

िजसकेऱिएभतऱकऽजानीहै, सदऱयसंयकेपचासँऱितशतसेअधकनहऱहोगा;

13000 अधि 0 सं- 1 आफ 2002 की धारा-3(क) द्वारा पठितथापित, (दिनांक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

- (2) यद्यदकसीभतटकावषणकेसबधमशउपधारा (1) केअधीन विनियमकडकसीकेलिए आरिंतकोईहरिबिनाभरेरहजाएतोऐसीहरिकोअलीनीतकयाजायगाऔरउसेउसीवषणमशयापावतटवषणमशयाभतटकेवषणमशपृथकवगणकडहरिकेअपमशविशेषभतटद्वाराभराजायगाऔरउपधारा (1) मशकसीकेतिकूलबातकेहोतेअभीऐसेवगणकडहरिकेअपमशगणनाभतटकेउसवषणकडहरिविनियमकेसाथ, जिसमशवहभरीजारहीहो, उसवषणकडकुलहरिविनियमकेपचासकेतिकशतआरिंतणकडअधिकतमसीमाकेअवधारणकेअयोजनाथणनहकडजायगी;]
- 1[(3) जहां, यातोउपधारा (1) याउपधारा (2) केअधीनकसीभतट मश, यथाकिंथित, अनुसूचितजनजातिययाअनुसूचितजातियसेसंबंधितकोईउपयुअ यथउपलभनहवहांऐसीभतटमशउसके लिएआरिंतहरि, यथाकिंथित, अनुसूचितजातिययाअनुसूचितजनजातियसेसंबंधितउपयुअ यथयमशसेभरीजासकतीहै, औरजैसेहीयथाकिंथित, अनुसूचितजातिययाअनुसूचितजनजातियकेलिएउपधारा (5) मश, निंदरोंतरमश, नि तकडगयीकोईहरिहोतीहै, तोयथाकिंथितअनुसूचितजातिययाअनुसूचितजनजातियसेसंबंधितऐसे विनियमकोउसकअपनीकेणीकडऐसीहरिकेविनियमसमायोजितकयाजायेगा।]
- 2[(ख) (एक) उपधारा (3-क), (3-ख) निनकालदीजायगी;]
- 3[(दो) उपधारा (4) निनकालदीजायगी :]
- 4["(5) राज्यसरकार, उपधारा (1) केअधीनआरिंतणकोलागूकरनेकेलिए, अधिसूचितआदेशद्वारा, लोकसेवाकेसंवगणकडकुलसदस्यसंयायापदकोसमाविकरतेअएकरोंतरजारीकरेगीजिसमशआरिंतणबदु कोइंगितकयाजायगाऔरइसकारजारीकयागयारोंतरवषणनुवषणचालूखातेकेअपमशतबतककडयावतक कयाजायगाजबतकउपधारा (1) मशउलिखितविभुके विनियमकेलिएआरिंतण पूरानहोजाएऔरतप ात्रोंतरऔरचालूखातासमाहोजायगाऔरतपूतजबकभीकसी लोकसेवायापदमशकोईहरिउपहोतोउसेउसकेणीकेपदरोंतरमशहो।"]
- विनियममशसेभराजायगाजिसकेणीका

(6) यह उपधारा (1) मंथ लिखत एकसी ओंणी से संबंधित कोई विद्योयता के आधार पर

खुली-चित्तियोगिता

मंथ सामाज्य अथ यथय के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी ओंणी के लिए आरिंत हरिय के चित्त समायोजित नहलकया जायेगा।

5[(7) उपधारा 3(7) चिनकाल दी जायेगी।]

4-अधिनयम के अनुपालन मंथ उरदायिव और शि-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनयम के उपबध के अनुपालन को सुनि त करने के लिए एकसी

नियुक्ति-धिकारी

या एकसी अधिकारी या कमचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उरदायिव सप सकती है।

1 उ000 अधि 0 सं0- 45 आफ 2007 की धारा-2 द्वारा पितथापित, (दिनॉक 25-08-2007 से पृष्ठ)

2 उ000 अधि 0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-3क (i) द्वारा पितथापित, (दिनॉक 31-08-2002 से पृष्ठ)

3 उ000 अधि 0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा- 3ख (i) द्वारा पितथापित, (दिनॉक 31-08-2002 द्वारा चिनकाला गया)

4 उ000 अधि 0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-3(ग) द्वारा पितथापित, (दिनॉक 31-08-2002 से पृष्ठ)

5 उ000 अधि 0 सं0-1 आफ 2013 की धारा-2 द्वारा (दिनॉक 07-05-2012 द्वारा चिनकाला गया)

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) मंथ चिंदनियुक्ति-धिकारी या अधिकारी या कमचारी मंथ ऐसी शियां या चिकार चिनिहत कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सपे गये उरदायिव के चभावी चिवहन के लिए आवयक हो

5- शांित -

(1) कोई नियुक्ति-धिकारी या अधिकारी या कमचारी जिसे धारा 4 क उपधारा (1) के अधीन उरदायिव सपा गया है, इस अधिनयम के चयोजन का, यथांथित जानबूझकर उलंघन करने या उहथ चिवफल करने के आशय से कोई कायच करता है तो वह दोषिस होने पर, ऐसी अविधके कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुमाने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोन से दंडनीय होगा।

(2) कोई भी उयायालय इस धारा के अधीन एकसी अपराध का संान राज्य सरकार क या राज्य सरकार द्वारा एकसी आदेश से इस चिनिकृति-धिकृत एकसी अधिकारी क, पूवचवीकृति के चिनानहल करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दलित भारतीय ढकसी अपराध का िवचारण, 'ढकसी महानगर मिजल्लेटया ंथम ंणी के ढकसी ऩयायिक मिजल्लेट ढरार, संिेपत ढकया जायेगा और दलित ंढया संहिता, . 1973 कऱ धारा 262 कऱ उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबडध यथावयकपडरवतऱन सहित, लागू होंगे।

6- अभिलेख मांगने कऱ शिऱ-

यढद राडय सरकार कऱ जानकारी मऱ यह बात आती है ढक धारा 3 कऱ उपधारा (1) मऱ अभिलेख मांगने कऱडिलिखत ढकडहल भी ंणियऱ का कोई िनियुतिऱधिकारी ढरार इस अधिनयम के उपबडध या शिऱइसकेअधीन बनाये गये िनयम या इस िनिमड सरकार केआदेशके अननुपालन के कारण ंतिकूल ढप से ंभावित ञा है तो वह ऐसे अभिलेख को मांग सकती है और ऐसी कायऱवाही कर सकती हैजो वह आवयक समझे।

7- अधिनियम के अनुपालन मऱ उडूरदायिव औरशिऱ-

राडय सरकार, आदेश ढरार, चयन सिमित मऱ, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी चयन सिमित मऱआवयक समझी जाय और जहां ऐसी सिमित ढकसी सेवा िनयम के अधीन या अडयथा गडठत कऱितिनिधव जाय, अनुसूचित जातिय या अनुसूचित जनजातिय और नागडरक के अडय िपछडे वगऱ को ंतिनिधव देने के िलए अधिकाडरय के नाम-निदऱशन कऱ वंथा कर सकती है।

8- छूट और शिथिलीकरण-

(1) राडय सरकार, धारा 3 कऱ उपधारा (1) मऱ डिलिखत िनिय कऱंणिय के पँछूट औरमऱ, आदेश ढरार, ढकसी ंतियोगिता परींा या सारंाकार के िलए फऱस के सडबडध मऱ ऐसी छूट और शिथिलीकरणउतर आयु सीमा के सडबडध मऱ शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवयक समझे।

(2) उपधारा (1) मऱ िनंद िनिय कऱंणिय के पँछूट मऱ सीधी भतट और पदोति मऱआरंण के सडबडध

मऱ अडय छूट और शिथिलीकरण िजसके अडतगऱत ंतियोगिता परींा या सारंाकारके िलए फऱस मऱ छूट और उतर आयु सीमा मऱ शिथिलीकरण भी सिडमित है, के सडबडध मऱइस अधिनयम के ंारड के ढदनांक को ंवृड सरकार के आदेश, जो इस अधिनयम के उपबडध से असंगत न हऱ, लागू रहऱगे जब तक ढक उडहऱ यथांथित, उपाडतडरत या

विधि लागू न कर दिया जाय।

9- जाति प्रमाण-पत्र-

इस अधिनियम के अधीन उपबिधत आरक्षण के प्रयोजन के लिए जाति प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रमाण पत्र मंजूर जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबिधत करे, जारी किया जायगा।

10- कठनाई को दूर करना-

यदि इस अधिनियम के उपबिधत को कार्यान्वित करने में कोई कठनाई उत्पन्न हो तो कठनाई को दूर राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी वंथा कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबिधत से करना असंगत न हो और जो कठनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11- सहायपूर्वक कर्तव्य कायवाही का संरक्षण-

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सहायपूर्वक कर्तव्य सहायपूर्वक कर्तव्य कर्तव्य या कर्तव्य जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी विधि के विधान कोई कार्यान्वित का संरक्षणवाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यान्वित नहल कर्तव्य जायगी।

12- नियम बनाने का शक्ति-

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना नियम बनाने का द्वारा, नियम बना सकती है।

13- अनुसूचित को संशोधित करने का शक्ति-

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचित को संशोधित कर सकेगी और गजट में अनुसूचित को ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचित का अनुसार संशोधित समझा जायगा।

14- आदेश इत्यादि का रखा जाना-

धारा 3 का उपधारा (5), धारा 4 का उपधारा (1) और (2) और रखा जाना धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोन सदन के समक्ष रखा जायगा और उक्त प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 का धारा 23 का उपधारा (1) के उपबिधत उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उक्त प्रदेश 'अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

15- अपवाद-

(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त न होंगे जिनमें चयन हुआ या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रवृत्त हो चुका हो और ऐसे मामलों में विधियों के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे अन्तर्गत के प्रवृत्त थे, वापस ठकये जायेंगे।

प्रतीकरण:- जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन कस जाने वाली भर्तों का आधार (एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ, यथास्थित, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अन्तर्गत हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा अन्तर्गत हो जाने पर

इस उपधारा के अन्वये के लिए, चयन हुआ या अन्तर्गत हो गई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उद्देश्य से वाकालमृत सरकारी सेवकों के अन्तर्गत कस भर्तों नियमावली, 1974 के अधीन कस जाने वाली नियुक्ति पर लागू न होंगे।

16-निरसन और अपवाद-

(1) उद्देश्य लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) उद्देश्य अधिनियम, 1989, उद्देश्य लोक सेवा (अनुसूचित जातिय और अनुसूचित अधिनियम संख्या जनजातिय के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उद्देश्य लोक सेवा 21 सन् 1989 उद्देश्य (अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातिय और पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम संख्या 3. आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित ठकये जाते ह।

(2) ऐसे निरसन के होते हए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम उद्देश्य अध्यादेश और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कत कोई कायदा या कायदावाही इस संख्या 5 सन् 1994 अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के

अधीन कृत कायदा या कायदावाही समझी जायगी मान इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची--एक

देखिए धारा 2 (ख)

1.	अहीर, यादव, वाला, यदुवंशी	42.	भठयारा
2.	सोनार, सुनार, वणकार	43.	माली, सैनी
3.	जाट	44.	वीपर
4.	कुमठ, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुमठ-मल,	45.	लोहार, लोहार-सेफ
5.	गिरी	46.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान

6.	गूजर	47.	रंगरेज, रंगवा
7.	गोसाई	48.	मारछा
8.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधीराजपूत	49.	हलवाई, मोदनवाल
9.	कबोज	50.	हठाम, नाई, सलमानी, सिवता, ठीवास
10.	अरख, अकभवांशीय	51.	रायिसखअराक
11.	काछी, काछी-कुशवाहा, शाह्य	52.	सभा-भिंती, भिंती-अबासी
12.	कहार, कंयप	53.	धोबी (जो अनुसूचित जातिय या अनुसूचित जनजाति)
13.	केवट, मलाह, निषाद	54.	कसेरा, ठठेरा, तांकार
14.	ठकसान	55.	नानबाई

13000 अधि 0 सं-1 आफ 2002 की धारा-4 द्वारा पंक्तिपित, (दिनांक 31-08-2002 से पूर्व)

15.	कोइरी	56.	मीरिशकार
16.	कुहार, जापित	57.	शेखसरवारी (पिराई), पीराही
17.	कसगर	58.	मेव, मेवाती
18.	कुजड़ायाईन	59.	को/को
19.	गड़ेहरया, पाल, बघेल	60.	रोड़
20.	गंी, घोसी	61.	खुमरा, संगतराश, हंसीरी
21.	चिकवा, कंसाब, कुरैशी, चक	62.	मोची
22.	छीपी, छीपा	63.	खागी
23.	जोगी	64.	तंवरसघाड़िया
24.	झोजा	65.	कतुआ
25.	डफाली	66.	महागीर
26.	तमोली, बरई, चौरिसया	67.	दांगी
27.	तेली, सामानी, रोगनगर, साठ, रौनियार, गंधी	68.	धाकड़
28.	दजट, इदरीसी, काकुंथ	69.	गाडा
29.	धीवर	70.	तंतवा
30.	नल	71.	जोहरया
31.	नट	72.	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
32.	नायक	73.	कलाल, कलवार, कलार
33.	फकड़	74.	मिनहार, कचेर, लखेरा
34.	बंजारा, रंक, मुकेरी, मुकेरानी	75.	मुराव, मुराई, मौय
35.	बढ़ई, सैफ, विजयमा, पांचाल, रमगढ़या,	76.	मोमिन (अंसार)
36.	बारी	77.	मुलमकायंथ
37.	बैरागी	78.	मिरासी
38.	बिउद	79.	नफ (धुनिया), मसूरी, कडरे, कड़ेरे, करण
39.	बियार		
40.	भर, राजभर		
41.	भुजट, भड़भुजा, भुंज, कांदू, कशोधन		

1 अनुसूची-दो [धारा 3 (1) देखिए]

एक-संवैधानिक पद

ऐसे एक सी रिज़रवा पुर्ण पुरीजो, [****]

(क) भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला;

(ख) भारत का उपर प्रतिनिधित्व करने वाला;

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने वाला हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य

निर्वाचन आयोग या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होने वाला हो; (ड)

इसी प्रकार के एक सी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन होने वाला हो।

दो-सेवाओं

(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवा (सीधी भर्ती) के समूह का सेवाओं के अधिकारी

निर्लिखित के पुर्ण पुरी

(क) निज के माता-पिता दोन समूह का सेवाओं के अधिकारी हों,

(ख) निज के माता-पिता मरण से कोई भी समूह का सेवाओं के अधिकारी हो,

(ग) निज के माता-पिता दोन समूह का सेवाओं के अधिकारी हों एक उच्चतम न्यायाधीश के

क सम्पूर्ण हो जाय या वह अस्थायी अर्थात् सेवा से निवृत्त हो जाय,

(घ) निज के माता-पिता मरण से कोई भी समूह का सेवाओं के अधिकारी हो और ऐसे माता-

पिता क सम्पूर्ण हो जाय या वह अस्थायी अर्थात् सेवा से निवृत्त हो जाय और ऐसी मृत्यु या

अर्थात् सेवा के पूर्व उच्चतम न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायाधीश संगठन जैसे संयुक्त, अथवा उच्च न्यायाधीश मुद्रांक, वि

ब. क. आठ दश पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियोजन कालाभारत, और (ड)

निज के माता-पिता दोन समूह का सेवाओं के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोन

क सम्पूर्ण हो जाय या वे अस्थायी अर्थात् सेवा से निवृत्त हो जाय और दोन क सम्पूर्ण हो जाय

अर्थात् सेवा के पूर्व उच्चतम न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायाधीश संगठन जैसे संयुक्त,

अथवा उच्च न्यायाधीश मुद्रांक, वि ब. क. आठ दश पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियोजन का

लाभार्थी आहो।

13000 अध 0 सं0- 21 आफ 2001 की धारा-4 द्वारा पितृतापित, (दिनांक 15-09-2001 से पूर्व)

23000 अध 0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-5 (क) (दिनांक 31-08-2002 द्वारा निराला गया)

(ख) के 3^{री} और रा 3 से वाएं (सीधी भत 2) समूह खया 0^{णी} दो के अधिकारी नि लिखत के पु

या पु ी

(क) जिन के माता-पिता दोन समूह खया 0^{णी} दो के अधिकारी ह,

(ख) जिन के माता-पिता म 3 से केवल पिता समूह खया 0^{णी} दो का अधिकारी हो और वह चालीस

वर्ष का या इस के पूर्व का क 5 आयु म 3 समूह कया 0^{णी} एक म 3 आजाय,

(ग) जिन के माता-पिता दोन समूह खया 0^{णी} दो के अधिकारी ह, और उन म 3 से एक क 5 म 3 यु

हो जाय या वह 3 थायी अ 3 मता से 3 सित हो जाय और उन म 3 से क सी एक को ऐसी

म 3 यु या 3 थायी अ 3 मता के पूर्व का क सी अ 3 तरा का 3 य संगठन जैसे संयु 3 रा, अ 3 तरा का 3 य

मु 3 का कोष, वि 3 ब. क आ 3 द म 3 पांच वर्ष से अ 3 यू न अविध के िल ए नि योजन का लाभार्थी आहो,

(घ) जिन के माता-पिता म 3 से पिता समूह कया 0^{णी} एक का (सीधी भत 2) या चालीस वर्ष के

पूर्व का पदो 3 त अधिकारी हो और माता समूह खया 0^{णी} दो क 5 अधिकारी ह और माता

क 5 म 3 यु हो जाय या वह 3 थायी अ 3 मता से 3 सित हो जाय, और

(ङ) जिन के माता-पिता म 3 से माता समूह कया 0^{णी} एक क 5 (सीधी भत 2) या चालीस वर्ष के

पूर्व का पदो 3 त अधिकारी हो और पिता समूह खया 0^{णी} दो का अधिकारी हो और पिता

क 5 म 3 यु हो जाय या वह 3 थायी अ 3 मता से 3 सित हो जाय।

प ी करण- इस 0^{णी} के 3 योजन के िल ए यह 3 प 3 क या जाता है क पद “ 3 थायी अ 3 मता का”

ता 3 पय का ऐसी अ 3 मता से है िज स के कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाय।

(ग) साव का जिन क 3 3 3 उप 3 म:-

साव का जिन क 3 3 3 उप 3 म के कम का चारी ऊपर उप 0^{णी} (क) और (ख)

म 3 ि वि न 3 द मान द 3 ड य था व 3 य क प 3 र व त का न स ह त उन अ ध का 3 र य 3 पर ला गू ह 3 गे जो साव का जिन क 3 3 3 के

उप 3 म 3, ब. क 3, बी मा संगठन 3,

विश्वविद्यालय आठदमशसमकियातुलनीयपदपर और निजी नियोजन के अधीन भी समकियातुलनीयपद और स्थान पर ह। इन संस्था मशसमकियातुलनीय आधार पर पद के मूल्यांकन के लिए बतारहते नीचे ००णी छः मशविनिर्दमानद आड, इन संस्था के अधिकांश पर लागू होगा।

तीन-अभ्यसैनिक बल को सिमिलित करते १० एस १० बल (सिवल पद को धारण करने वाले सिमिलित न ह।)

ऐसे माता-पिता, जिन मशसे कोई या दोन सेना मशकन भाल और उसके ऊपर के पद पर ह यानी-सेना, वायु-सेना और अभ्यसैनिक बल मशउसके समकिय पद पर ह, के पुत्रा पुत्री।

पीकरण-

इस ००णी के ००योजन के लिए पिता और माता के कनभाल से नीचे के सेवा पद को एक साथ न ह जोड़ा जायगा।

चार- वासायिक वगभ्य और अपारध ३ धे और उ० ग मशलगे निनीचे ००णी छः

मशविनिर्दमानद आडि निलिखत पर लागू हगे

- (क) डाक्टर, वकल, चाटल एकाउंटेन्ट, आयकर परामशदाता, दत्तचिठकंसक, अभियन्ता वांत्तुविद्, षफ, मकलाकार और अय षफ, म वसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकुद, वसायी, मीडिया वसायी या इंसकार के षकसी अय वसाय मशलगे नि, और।

(ख) ध ३ धे अपार और उ० ग मशलगे नि।

पीकरण- (एक) जहां पिता षकसी वसाय मशहो और माता समूह खया ००णी दो या नि ००णी के नियोजन मशहो, वहां नीचे ००णी छः मशविनिर्दमानद आड के वलिपताक आय के आधार पर लागू होगा और माताक आय इसके साथ न ह जोड़ी जायगी।

(दो) जहां माता षकसी वसाय मशहो और पिता समूह खया ००णी दो या नि ००णी के

नियोजन मशहो, तो नीचे ००णी छः मशविनिर्दमानद आड के वलिपताक आय के आधार पर लागू होगा और पिताक आय उसके साथ न ह जोड़ी जायगी।

पांच-सपिठ वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिस मंशु से कोई एक अपने पहरवार के साथ जिस मंशु वह वयं, उस कऽ पःकी

/पित और नाबालिग बःसि मिलतह, निःलिखत भूमि का वामी हो, के पुःया पुःी-

क) केवल ःसिचत भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पःासी ःतिशत के

बराबर या उस से अधिक हो, या

ख) ःसिचत और अःसिचत दोन ःकार कऽ भूमि हो, जहां ःसिचत भूमि

(जो कसी सामाऽयिड नो मिनेटर के अधीन कसी एक ःकार मंशु लायी गई हो)

ःसिचत भूमि कऽ साःविध कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस ःतिशत

से अधिक है,

वहां अःसिचत भूमि विमान पहरवत ःनफा मूःला के आधार पर ःसिचत भूमि मंशु

हरवःत कर दी जाएगी और इस ःकार संगणत ःसिचत ःको ःसिचत भूमि के वां

तिव कःके साथ जोड़ दया जायगा और इस ःकार आई ःसिचत भूमि के अनुसार कु

ल ःसिचत भूमि के लिए कानूनी

अधिकतम जोत सीमा के अंसी ःतिशत के बराबर या अधिक हो।

परीकरण- पद "कानूनी अधिकतम जोत सीमा" और "पहरवत ःनफा मूःला" का अथःा उस ःके

के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सःबिधति विध के अनुसार लगाया जायगा जिस मंशु ःगत भूमि मंथत हो

।

(ख) पौधारोपण-

(एक) काफऽ, चाय, रबर आऽद

नीचे ःणीछः मंशु विनं दमान दः डलागू होगा,

(दो) आम, निबूवंश, सेव आऽद-

ऐसे पौधारोपण कऽ भूमि कृषि भूमि जोत समझी जायगी और ऊपर उपःणी (क)

के अधीन विनं दमान दः डलागू होगा।

(ग) शहरी ःया शहरी समूह मंशु खाली भूमि या भवन

नीचे ःणीछः मंशु विनं दमान दः डलागू होगा।

परीकरण- इस उपःणी के ःयोजन के लिए यह ःक या जाता है कऽ भवन का ःयोग आवासीय,

वाणिऽयक या औःगिक ःयोजन या इस ःकार के दो या अधिक ःयोजन के लिए ःक या जा सकता है।

छ:-आययास-पितमानद

निर्लिखतकेपुयापुी ----

1(क) ऐसे

जिनके निरंतर तीन वर्षों तक अवधि के लिए एक लवा ऋषक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक

होया जिनके पास धन कर अधिनियम, 1957 मध्यम विहत छूट सीमा से अधिक संपिड़ हो।

(ख) 0ेणी एक, दो, तीन या पांच (क) मशिविन्द निर्जो आरों के लाभ का अपा न

हो 8क 3तु जिनके अ 3य 0ेत से आय इतनी हो जो उ 3ह ऊपर उप-0ेणी (क) मशिविन्द मानद के भीतर लाती हो।

पीकरण-इस 0ेणी के 2योजन के लिए ह 5क या जाता है 8क

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया न ह जाएगा,

(दो) 0पये के अनुसार आय

मानद 0ेत 0ेक तीन वर्षों म 0उसके मू 5य पर वत न को 1यान म 0र ख कर उपा 3त 8र त 8क या जाएगा। पर 3तु 8

दि 5थित क 5ऐसी मांग हो तो अ 3तराल क म भी हो सक ता है।"

अनुसूची-

[देखिये धारा 3(3)]

1. चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव

1.	अगहरया	34.	घिसया
2.	बिध क	35.	गड
3.	बादी	36.	वाल
4.	बहेलिया	37.	हबुड़ा
5.	बैगा	38.	हहर
6.	बैजवर	39.	हेला
7.	बजिन या	40.	काला बाज़
8.	बाजगी	41.	कंजड़

1उ000 अध 0 सं0- 22 /16-92 टी0सी0-3 0ारा 0ितथापित, (िदनों कि 29-01-2014 से 0वृह)

9.	बलहर	42.	किप ड या
10.	बलाई	43.	करवल
11.	बा 5मी 8क	44.	खैराहा
12.	बंगाली	45.	खरवार (बेन बांसी को छोड़कर)
13.	बनमानुष	46.	खटक
14.	बांसफोड़	47.	खोरोट
15.	बरवार	48.	कोल
16.	बसोड़	49.	कोरी
17.	बावहरया	50.	कोरवा
18.	बेलदार	51.	लाल बेगी
19.	बेड़ या	52.	मझवार

20.	भट्ट	53.	मजहबी
21.	भुइया	54.	मुसहर
22.	भुइयार	55.	नट
23.	बोड़िया	56.	पंखा
24.	चेरो	57.	परिहया
25.	दवगर	58.	पासी, तरमाली
26.	धांगर	59.	पाटरी
27.	धानुक	60.	रावत
28.	धरकार	61.	सहरया
29.	धोबी	62.	सनौठ या
30.	डोम	63.	सांसिया
31.	डोमर	64.	शिकार
32.	दुसाध	65.	तुरैहा
33.	धरमी		

